# The Office of District Magistrate, Moradabad

Ref: 979/N-13/868/2022/जनरल Date 08/07/2023

To, Through E-Filling (E-mail : judicial-ngt@gov.in)

The Registrar,
Hon'ble National Green Tribunal,
Copernicus Marg, New Delhi.

**Sub: Regarding status Report in compliance of Hon'ble NGT order dated 19-04-2023 in the matter of Adesh Kumar Yadav Vs State of U.P. in Original Application no. 868/2022 (Next date of hearing 17.07.2023).**

Sir,

In compliance of the direction passed by Hon'ble National Green Tribunal dated 19-04-2023 on the above mentioned matter. status report is hereby attached with the request to put up before Hon'ble National Green Tribunal for kind perusal.

Yours Sincerely,

(Shailendra Kumar Singh)
District Magistrate

Copy To: Member Secretary, U.P. Pollution Control Board, Lucknow for information.

District Magistrate

# Action Taken Report

**In the matter of**

# Adesh Kumar Yadav

# V/S

# State of Uttar Pradesh

## (O.A. No. 868/2022)

**Hon'ble National Green Tribunal**

**(Order dated 19th April, 2023)**

*Perpared by:*

*( Joint Committee of UPPCB, Moradabad, District Administration, Moradabad, Flood Division, Irrigation Department, Moradabad)*

**Action taken report in compliance of direction issued by Hon'ble NGT order dated 19.04.2023 in the matter of Adesh Kumar Yadav V/S State of Uttar Pradesh in O.A. No. 868/2022.**

**1- Background :-**

O.A. no. 868/2022 was filed by Adesh Kumar Yadav before Hon'ble NGT, New Delhi regarding illegal construction made by M/s Torrent Gas Pvt. Ltd. at gata no. 345/1, Village Saifpur Palla, Teshil & District Moradabad on flood plan zone of river Ramganga.

Hon'ble NGT, New Delhi had passed the order on 11.01.2023 in the matter of Adesh Kumar Yadav vs State of Uttar Pradesh in O.A. No. 868/2022 and directed as following –

*"3. In our view, it would be appropriate to obtain a factual report for the purpose whereof, we constitute a joint committee of State PCB and District Magistrate, Moradabad who shall visit the premises, collect relevant information and submit a factual report including the details of action taken, if any, within two months.*

*4. The nodal agency for coordination and compliance will be District Magistrate, Moradabad."*

**2- Action taken by Joint Committee in compliance of order dated 11.01.2023-**

In compliance to the aforesaid direction, a Joint Team of Officials from Regional Office, U.P. Pollution Control Board, Moradabad and District Administration, Moradabad visited the site of M/s Torrent Gas Pvt. Ltd., Village Saifpur Palla, Tehsil & district Moradabad on dated 17-01-2023 and submitted its status report before Hon'ble NGT by District Magistrate, Moradabad vide letter no. 426/N-13/868/2022/General dated 23.02.2023. Copy is annexed as **Annexure-1**.

**Further, Hon'ble NGT vide order dated 19.04.2023 in the matter of Adesh Kumar Yadav V/S State of Uttar Pradesh in O.A. No. 868/2022, has directed as following-**

*"5. In view of above, further action may be taken and action taken report filed within two months before this Tribunal by the joint Committee already constituted with inclusion of Chief Engineer (Eastern Ganga), Irrigation and Water Resources Department, Uttar Pradesh, Moradabad.*

*List for further consideration on 17.07.2023."*

**Action taken by Joint Committee in compliance of order dated 19.04.2023-**

i. District Magistrate, Moradabad vide letter no. 734/N-13/868/62/General dated 11.05.2023 has directed to Chief Engineer (Eastern Ganga), Irrigation and Water

Resources Department, Moradabad to take necessary action for demarcation of flood plain zone and submit action taken report accordingly. Copy is annexed as **Annexure-2**.

ii. Regional Office, U.P. Pollution Control Board, Moradabad vide letter no. 729/N-13/868/2022/General dated 09.05.2023, 865/N-13/868/2022/General dated 14.06.2023 & 936/N-13/868/2022/General dated 28.06.2023 also requested to Chief Engineer (Eastern Ganga), Irrigation and Water Resources Department, Moradabad on above the matter. Copies are annexed as **Annexure- 3, 4&5**.

iii. In reply of above, Executive Engineer, Flood Division, Irrigation Department, Moradabad submitted the reply vide letter no. 1397/बाढ खण्ड/कोर्ट केस dated 03.07.2023. The report of the Chief Engineer [Eastern Ganga], Irrigation Department, Moradabad is attached with the above said letter dated 03-07-2023. In said report, it is stated that the site of M/s Torrent Gas Pvt. Ltd., Village Saifpur Palla, Tehsil & district Moradabad is situated at more than 500 Meter from the bank of river Ramganga and not covered under no development zone/no Construction zone as prescribed by Hon'ble NGT in the order of O.A. no. 868/2022. Further, it is also stated that procedure of demarcation of flood plain zone in river Ramganga is under process. Copy is annexed as **Annexure-6.**

Above report is being submitted for Kind perusal and necessary action .

Regional Officer,
U.P. Pollution Control Board,
Moradabad

Executive Engineer
Flood Division
Moradabad

Additional District Magistrate
F/R
Moradabad.

# The Office of District Magistrate, Moradabad

Ref: 426/N-13/868/2022/General Date 23-03-2023

To, Through E-Filling (E-mail : judicial-ngt@gov.in)

The Registrar,
Hon'ble National Green Tribunal,
Copernicus Marg, New Delhi.

**Sub: Regarding joint inspection Report in compliance of Hon'ble NGT order dated 11-01-2023 in the matter of Adesh Kumar Yadav Vs State of U.P. in Original Application no. 868/2022.**

Sir,

In compliance of the direction passed by Hon'ble National Green Tribunal dated 11-01-2023 on the above mentioned matter, joint inspection report is hereby attached with a request to put up before Hon'ble National Green Tribunal for kind perusal.

Yours Sincerely,

(Shailendra Kumar Singh)
District Magistrate

Copy To: Member Secretary, U.P. Pollution Control Board, Lucknow for information.

District Magistrate

DM

Scanned with OKEN Scanner

# Joint Inspection Report

**In the matter of**

## Adesh Kumar Yadav

## V/S

## State of Uttar Pradesh

**(O.A. No. 868/2022)**

**Hon'ble National Green Tribunal**

**(Order dated 11th Jan, 2023)**

*Inspection done by*

*( Joint Committee on dated 17-01-2023)*

Scanned with OKEN Scanner

# Contents

1- Background.

2- Inspection/Observation.

3- Conclusion.



Scanned with OKEN Scanner

**Joint Inspection Report in compliance of the directions issued by Hon'ble NGT on 11.01.2023 in the matter of Adesh Kumar Yadav V/S State of Uttar Pradesh in O.A. No. 868/2022.**



**1- Background :-**

Hon'ble NGT, New Delhi has passed an order on 11.01.2023 in the matter of Adesh Kumar Yadav V/S State of Uttar Pradesh in O.A. No. 868/2022. The main part of the order is reproduced as follows –

*"2. The complaint is that M/s Torrent Gas Pvt. Ltd, Gata No. 345/1 has raised illegal construction at Gata No. 345/1, area 345 sq. mtr, which is a part of flood plain of River Ramganga and any construction on the flood plain zone of river which is tributary of River Ganga is prohibited. Therefore, illegal activities of construction are causing damage to environment and also it may result in submergence of land of the applicant which is adjacent to the aforesaid gata.*

*3. In our view, it would be appropriate to obtain a factual report for the purpose whereof, we constitute a joint committee of State PCB and District Magistrate, Moradabad who shall visit the premises, collect relevant information and submit a factual report including the details of action taken, if any, within two months by e-mail..............."*

**2- Inspection/Observations-**

In compliance to the aforesaid direction, a ioint committee comprising the officials of the Regional Office, U.P. Pollution Control Board, Moradabad and District Administration, Moradabad visited the site of M/s Torrent Gas Pvt. Ltd., Village Saifpur Palla, Tehsil & district Moradabad on 17-01-2023. During inspection, the representative of the unit Shri Anadi Dixit, Vice President and Shri Prabhash Kumar, Manager were present. The observations are as follows-

i. The said unit M/s Torrent Gas Pvt. Ltd. has established a City Gas Distribution Station (CGS) at khata no. 312, Gata no. 345/1, village Saifpur Palla, Tehsil & district Moradabad just adjacent to the office of Gas Authority of India Ltd. (GAIL) for providing the piped gas to the citizen of Moradabad through pipeline, which is operational. The supply of natural gas is being obtained from GAIL.

ii. The unit is having consent to operate under section 25/26 of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 and 21/22 of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act,1981, which are valid upto 31.07.2025. Copy is annexed as **Annexure- 1**.

iii. M/s Torrent Gas Pvt. Ltd. has been authorized by the Petroleum and Gas Regulatory Board of the Government of India for laying of gas pipeline, setting of C.N.G. station and domestic gas supply etc. in Moradabad.



Scanned with OKEN Scanner

iv. The site of the said unit is not covered under the master plan of Moradabad Development Authority, Moradabad and situated in rural area. Further, Sub-Divisional Officer, Sadar, Moradabad vide order dated 21.09.2020 has declared Khata number 312, Gata number 345/1 located in Saifpur Palla, Tehsil and district Moradabad as non-agricultural land under section 80(1) of U.P. Revenue Code 2006. Copy is annexed as **Annexure-2**.

v. During visit the joint team has observed that at present river Ramganga is flowing at a distance of **approx 650 Meter away** from the site of M/s Torrent Gas Pvt. Ltd. located at village Saifpur Palla, Tehsil and District Moradabad.

vi. It is also pertinent to mention that the applicant has filed Civil Misc. Writ Petition (P.I.L.) no. 50 of 2021 Adesh Kumar Yadav S/O Lallu Singh Yadav Vs State of U.P. through Principal Secretary (Irrigation and Flood Control) Government of U.P. and others before Hon'ble High Court of Judicature at Allahabad and the matter is pending. Copy is annexed as **Annexure- 3**.

vii. In compliance to the order of Hon'ble NGT, District Magistrate, Moradabad vide letter no. 1829-2@vk'kq0,u0th0Vh0/2023 dated 18.01.2023 has directed to Irrigation Department, Moradabad for providing information regarding whether construction of said unit M/s Torrent Gas Pvt. Ltd., village Saifpur Palla, Tehsil & district Moradabad is covered in flood plain zone of river Ramganga or not. Further, Regional Office, U.P. Pollution Control Board, Moradabad vide letter no. 157/N-13/868/22/General dated 01.02.2023 and letter No. 329/N-13/868/22/General dated 03.03.2023, has also requested to Irrigation Department, Moradabad to provide information on above matter. Copies are annexed as **Annexure-4, 5 & 6**.

viii. In this reference, letter no. 2096/मुअपूगं/जांच–जनरल dated 18-03-2023 issued by the office of the Chief Engineer (Eastern Ganga), Irrigation and Water Resources Department, Uttar Pradesh, Moradabad has been received. According to the said letter, it is informed that " a letter had been written to Executive Engineer, Water Science Section, Bahadarabad to provide a Performa bill of the possible cost for providing latitude and longitude for both sides of the river by marking the no development zone and regulatory zone by conducting a survey for the flood plain zone from Bijnor to Kannauj on both sides of the river Ramganga." Further, it is also informed that the situation will be clear only after the demarcation of the flood plain zone of river Ramganga whether the construction made by Torrent Gas Pvt. Ltd. located at village Saifpur Palla is in flood plain zone of river Ramganga or not. Copy is annexed as **Annexure -7**. A joint inspection report of the officials of Irrigation department is also attached with such letter in which it is clearly mentioned that -

*"साथ ही यह भी अवगत कराना है कि तटबंध बनाने के लिए मानक के अनुसार रामगंगा नदी के मध्य से दूरी 615मीटर आती है जबकि प्लांट नदी से 650मीटर से अधिक दूर है।"*



Scanned with OKEN Scanner

ix. It is further to be noticed that, the complaint was raised due to the letter dated 21-09-2020 of Flood Division, Irrigation Department, Moradabad. In above letter it was stated that the said unit falls under flood zone of river Ramganga but according to the letter no. 2096/मुअपूगं/जांच–जनरल dated 18-03-2023 of the Chief Engineer (Eastern Ganga), Irrigation and Water Resources Department, Uttar Pradesh, Moradabad, it was stated that the situation is not clear about flood zone at present . Copy is annexed as **Annexure -8.**

**3- Conclusion-**

It is submitted that clear information about flood zone of river Ramganga is not provided by Irrigation Department, Moradabad. Hence, it may not be decided whether the construction made by M/s Torrent Gas Pvt. Ltd. at Khata no. 312, Gata no. 345/1, village Saifpur Palla, Tehsil & District Moradabad is in flood plain Zone of river Ram Ganga or not.

**5- Photographs of the site -**

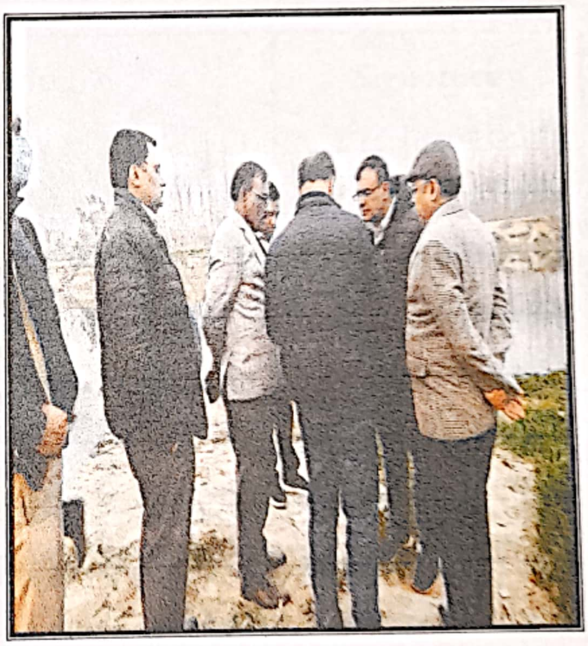



Scanned with OKEN Scanner

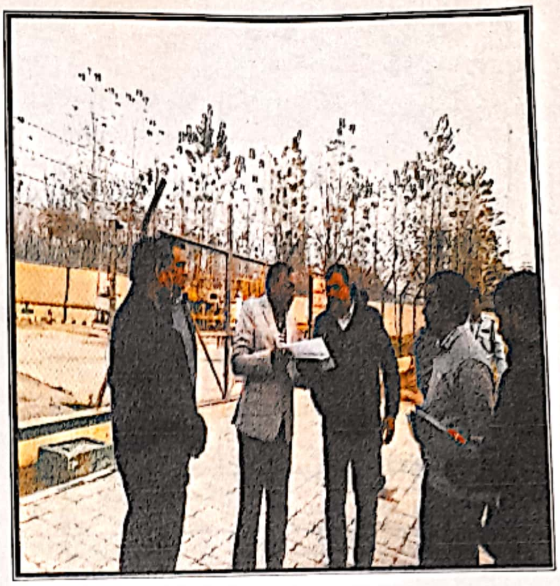

Above report is being submitted for Kind perusal and necessary action.

| S. No. | Name | Designation | Signature |
|---|---|---|---|
| 1 | Yugraj Singh | Additional District Magistrate (F/R), Moradabad | |
| 2 | Vikas Mishra | Regional Officer, U.P. Pollution Control Board, Moradabad | |

5

Scanned with OKEN Scanner

# कार्यालय जिलाधिकारी,मुरादाबाद

पत्रांक : 734/N-13/868/02/2/7/23 दिनांक : 11/7/23

मुख्य अभियन्ता (पूर्वी गंगा),
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0,
मुरादाबाद।

ई-मेल

**विषयः माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ.ए. संख्या 868/2022 आदेश कुमार यादव बनाम स्टेट ऑफ यू.पी. में पारित आदेश दिनांक 19.04.2023 के अनुपालन के संबंध में –**

उपरोक्त विषयक माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ.ए. संख्या 868/2022 आदेश कुमार यादव बनाम स्टेट ऑफ यू.पी. में पारित आदेश दिनांक 19.04.2023 (छायाप्रति संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश में प्रश्नगत प्रकरण पर कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही की आख्या 02 माह के अन्दर प्रेषित करने के निर्देश दिये गये है। अग्रेतर पारित आदेश के प्रस्तर 03 में फ्लड प्लेन जोन का सीमांकन का कार्य सुनिश्चित कराये जाने के निर्देश दिये गये है।

अतः उक्त के कम में आपसे अपेक्षा की जाती है कि फ्लड प्लेन जोन के सीमांकन का कार्य कराते हुए कृत कार्यवाही की आख्या उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद एवं अधोहस्ताक्षरी को प्रेषित करना सुनिश्चित करें, जिससे कि मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश का अनुपालन ससमय सुनिश्चित हो सके। अग्रेतर उक्त संदर्भित प्रकरण मा0 अधिकरण के समक्ष **सुनवाई हेतु तिथि 17.07.2023** को नियत की गयी है।

संलग्नः यथोपरि।

(शैलेन्द्र कुमार सिंह)
जिलाधिकारी

प्रतिलिपिः क्षेत्रीय अधिकारी, उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

जिलाधिकारी

Scanned with OKEN Scanner

Annexure - 03
69

क्षेत्रीय कार्यालय
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1–ए/आई.एन.एस.–1, आवास विकास कालोनी, बौद्ध विहार,
दिल्ली रोड, मुरादाबाद
ई–मेल : romoradabad@uppcb.in, दूरभाष : 0591–2972012

पत्र संख्या : 725 / N-13 / 868/2022/अनु0 दिनांक : 9 / 05 / 2023

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता (पूर्वी गंगा),
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0,
मुरादाबाद।

डायरी नं0........
सीरियल नं0........
फाइल नं0 N-13/0106/2022/2
दिनांक 20/5/23

**विषयः माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ.ए. संख्या 868/2022 आदेश कुमार यादव बनाम स्टेट ऑफ यू.पी. में पारित आदेश दिनांक 19.04.2023 के अनुपालन के संबंध में ।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ.ए. संख्या 868/2022 आदेश कुमार यादव बनाम स्टेट ऑफ यू.पी. में पारित आदेश दिनांक 19.04.2023 (छायाप्रति संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश में प्रश्नगत प्रकरण पर कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही की आख्या 02 माह के अन्दर प्रेषित करने के निर्देश दिये गये है। अग्रेतर पारित आदेश के प्रस्तर 03 में फ्लड प्लेन जोन का सीमांकन का कार्य सुनिश्चित कराये जाने के निर्देश दिये गये है।

अतः उक्त के कम में आपसे अनुरोध है कि फ्लड प्लेन जोन के सीमांकन का कार्य कराते हुए कृत कार्यवाही की आख्या प्रेषित करने का कष्ट करें, जिससे कि मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश का अनुपालन ससमय सुनिश्चित हो सके। अग्रेतर उक्त संदर्भित प्रकरण मा0 अधिकरण के समक्ष **सुनवाई हेतु तिथि 17.07.2023** को नियत की गयी है।

भवदीय

संलग्नकः यथोपरि।

( विकास मिश्र )
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपिः जिलाधिकारी महोदय, मुरादाबाद को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

अपर जिलाधिकारी (प्रशासन)
मुरादाबाद
18.5.23

Scanned with OKEN Scanner

क्षेत्रीय कार्यालय
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1–ए/आई.एन.एस.–1, आवास विकास कालोनी, बौद्ध विहार,
दिल्ली रोड, मुरादाबाद
ई–मेल : romoradabad@uppcb.in, दूरभाष : 0591–2972012

पत्र संख्या : 865/एन–13/868/2022/जनरल                    दिनांक : 14/06/2023

सेवा में,                    मा0 एन.जी.टी. प्रकरण
                    अनुस्मारक

मुख्य अभियन्ता (पूर्वी गंगा),
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0,
मुरादाबाद।

**विषयः माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ.ए. संख्या 868/2022 आदेश कुमार यादव बनाम स्टेट ऑफ यू.पी. में पारित आदेश दिनांक 19.04.2023 के अनुपालन के संबंध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ.ए. संख्या 868/2022 आदेश कुमार यादव बनाम स्टेट ऑफ यू.पी. में पारित आदेश दिनांक 19.04.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश में प्रश्नगत प्रकरण पर कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही की आख्या 02 माह के अन्दर प्रेषित करने के निर्देश दिये गये है। अग्रेतर पारित आदेश के प्रस्तर 03 में फलड प्लेन जोन का सीमांकन का कार्य सुनिश्चित कराये जाने के निर्देश दिये गये है। उक्त संदर्भित प्रकरण पर कार्यालय के पत्रांक 729/एन–13/868/2022/जनरल दिनांक 09.05.2023 के द्वारा कृत कार्यवाही की आख्या उपलब्ध कराये जाने हेतु अनुरोध किया गया था, जो कि अभी तक अप्राप्त है।

अतः उक्त के कम में प्रकरण की महत्ता के दृष्टिगत आपसे पुनः अनुरोध है कि संदर्भित प्रकरण पर कृत कार्यवाही की आख्या यथाशीघ्र इस कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें, जिससे कि मा0 अधिकरण के समक्ष कृत कार्यवाही की आख्या ससमय प्रेषित की जा सके। अग्रेतर उक्त संदर्भित प्रकरण मा0 अधिकरण के समक्ष **सुनवाई हेतु तिथि 17.07.2023** को नियत की गयी है।

भवदीय

( विकास मिश्र )
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपिः
1. जिलाधिकारी महोदय, मुरादाबाद को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–7), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को उनके पत्रांक एच 93190/सी–7/ओ.ए. नं0 868/2023 दिनांक 08.05.2023 के अनुकम में सूचनार्थ प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

AEE CORS NEW 2022

Scanned with OKEN Scanner

क्षेत्रीय कार्यालय
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1–ए/आई.एन.एस.–1, आवास विकास कालोनी, बौद्ध विहार,
दिल्ली रोड, मुरादाबाद
ई–मेल : romoradabad@uppcb.in, दूरभाष : 0591–2972012



पत्र संख्या 936/एन–13/868/2022/जनरल दिनांक : 28/06/2023

सेवा में, **अनुस्मारक/मा0 एन.जी.टी. प्रकरण**

मुख्य अभियन्ता (पूर्वी गंगा),
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0,
मुरादाबाद।

**विषयः माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ.ए. संख्या 868/2022 आदेश कुमार यादव बनाम स्टेट ऑफ यू.पी. में पारित आदेश दिनांक 19.04.2023 के अनुपालन के संबंध में ।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ.ए. संख्या 868/2022 आदेश कुमार यादव बनाम स्टेट ऑफ यू.पी. में पारित आदेश दिनांक 19.04.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश में प्रश्नगत प्रकरण पर कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही की आख्या 02 माह के अन्दर प्रेषित करने के निर्देश दिये गये है। अग्रेतर पारित आदेश के प्रस्तर 03 में फ्लड प्लेन जोन का सीमांकन का कार्य सुनिश्चित कराये जाने के निर्देश दिये गये है। उक्त संदर्भित प्रकरण पर कार्यालय के पत्रांक 729/एन–13/868/2022/जनरल दिनांक 09.05.2023 एवं 865/एन–13/868/2022/जनरल दिनांक 14.06.2023 के द्वारा कृत कार्यवाही की आख्या उपलब्ध कराये जाने हेतु अनुरोध किया गया था, जो कि अभी तक अप्राप्त है। यह भी उल्लेखनीय है कि बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ के पत्रांक एच 96196/सी–7/ओ.ए. नं0–868/2023 दिनांक 22.06.2023 के द्वारा उक्त प्रकरण पर की गयी कार्यवाही की आख्या चाही गयी है, जिसकी प्रति आपको भी आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की गयी थी।

अतः उक्त के कम में प्रकरण की महत्ता के दृष्टिगत आपसे पुनः अनुरोध है कि संदर्भित प्रकरण पर कृत कार्यवाही की आख्या यथाशीघ्र इस कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें, जिससे कि मा0 अधिकरण के समक्ष कृत कार्यवाही की आख्या ससमय प्रेषित की जा सके। अग्रेतर उक्त संदर्भित प्रकरण मा0 अधिकरण के समक्ष **सुनवाई हेतु तिथि 17.07.2023** को नियत की गयी है।

भवदीय

( विकास मिश्र )
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपिः

1. जिलाधिकारी महोदय, मुरादाबाद को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–7), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को उनके पत्रांक एच 96196/सी–7/ओ.ए. नं0–868/2023 दिनांक 22.06.2023 के अनुकम में सूचनार्थ प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

AEE CORS NEW 2022

Scanned with OKEN Scanner

# कार्यालय अधिशासी अभिन्ता
## बाढ खण्ड, मुरादाबाद

पत्रांकः– 1397 /बाढ खण्ड/कोर्ट केस/ दिनांक– 03/07/2023.

विषयः– मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0–868/2022, आदेश कुमार यादव बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 में पारित आदेश दिनांकः–19.04.2023 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

संदर्भः– **मुख्य अभियन्ता (पूर्वी गंगा), सिंचाई एवं जलसंसाधन विभाग, मुरादाबाद को सम्बोधित आपका कार्यालय का पंत्राकः–729/एन0 73/868/2022/जनरल, दिनांकः–09.05.2023 एवं अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई कार्य मण्डल, मुरादाबाद का पत्रांकः–5366/सिंकामंमु/एन0जी0टी0, दिनांकः–03.07.2023**

**क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड 1–ए/आई0एन0एस0–1, आवास विकास कालोनी, बौद्ध बिहार, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।**

कृपया उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र का अवलोकन करने की कृपा करें, जिसके द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0–868/2022, आदेश कुमार यादव बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 पारित आदेश दिनांकः–19.04.2023 के अनुपालना के सम्बन्ध में सिंचाई विभाग से सम्बन्धित मात्र बिन्दु संख्या–03 पर आख्या/प्रत्यावेदन अधीक्षण अभियन्ता सिंचाई कार्य मण्डल, मुरादाबाद एवं मुख्य अभियन्ता (पूर्वी गंगा), सिंचाई एवं जलसंसाधन विभाग, उ0प्र0 मुरादाबाद के द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किये जाने उपरान्त दो प्रतियों में आपको अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

सूचनार्थ प्रेषित है।

**संलग्नकः–उपरोक्तानुसार।**

03/07/23
**अधिशासी अभियन्ता**
**बाढ खण्ड, मुरादाबाद**

पत्रांकः– /बाढ खण्ड/कोर्ट केस/तदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है

1. मुख्य अभियन्ता, (पूर्वी गंगा), सिंचाई एवं जलसंसाधन विभाग, उ0प्र0 मुरादाबाद को उनके पत्रांकः–5404/मुअपूगं/कोर्ट केस, एन0जी0टी0, दिनांकः–03.07.2023 के संदर्भ में।
2. अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई कार्य मण्डल, मुरादाबाद को उनके पत्रांकः–5366/सिंकामंमु/एन0जी0टी0/ दिनांकः–03.07.2023 के संदर्भ में।
3. सहायक अभियन्ता एवं नामित पैरोकार बाढ़ उपखण्ड द्वितीय, मुरादाबाद को पूर्व संदर्भित पत्रों के संदर्भ में पुनः इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि विषयक प्रकरण प्रभावी पैरवी सुनिश्चित करते हुए नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही सम्पन्न कराये।

**अधिशासी अभियन्ता**
**बाढ खण्ड, मुरादाबाद**

04/7/23

Scanned with OKEN Scanner

# सिंचाई विभाग से सम्बन्धित मात्र बिन्दु सं0–03 पर आख्या

**मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0 868/2022 आदेश कुमार यादव बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 में पारित आदेश दिनांक 19.04.2023 के अनुपालन के सम्बन्ध में**

**बिन्दु संख्या–3** गंगा नदी के परिपेक्ष्य में मा0 एन0जी0टी0 के आदेश सं0 ओ0ए0 सं0 868/2022, एम0सी0 मेहता, यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य के 2017 एनजीटीआर (3) पीबीआई, के अनुसार नदी के किनारे से नो–डेवलपमेन्ट/नो कंस्ट्रक्शन जोन की दूरी 100 मी0 निर्धारित है। मै0 टोरेन्ट गैस प्रा0 लिमिटेड ग्राम सैफपुर पल्ला, तहसील व जिला मुरादाबाद में स्थित है जिसकी रामगंगा नदी के किनारे से दूरी 500 मी0 से अधिक है जो कि उक्त एन0जी0टी0 के आदेशों के द्वारा निर्धारित नो–डेवलपमेन्ट/नो कंस्ट्रक्शन जोन (किनारे से 100 मी0 दूरी) की सीमा से बाहर है।

फ्लड प्लेन जोन की परिभाषा कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ के पत्रांक 38/काप्रअ/यू–9/अनिम–3, दिनांक 15.01.2015, पत्रांक 1417 बी0/09–27–सिं–2–181 बाढ़/09, सिंचाई अनुभाग–2, दिनांक 16 मार्च 2010 एवं कार्यालय मुख्य अभियन्ता (पूर्वी गंगा) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, मुरादाबाद के कार्यालय ज्ञाप सं0 7089/मुअपूगं/दिनांक 27.08.2020 के द्वारा निम्नानुसार है –

1. जहां नदी के दोनो ओर मार्जिनल तटबन्ध निर्मित है ऐसे स्थानों पर दो तटबन्धों के मध्य का क्षेत्र।
2. जहां नदी के दोनो ओर मार्जिनल तटबन्ध निर्मित नहीं है ऐसे स्थानों पर शहरी क्षेत्र में 1:50 बाढ़ आर्वत (Flood Frequency) तथा ग्रामीण क्षेत्र में 1:25 बाढ़ आर्वत का डूब क्षेत्र।

मा0 एन0जी0टी0 के आदेशों के अनुपालन में Flood Plane Zone Demarcation के लिए एक परियोजना "**रामगंगा नदी के दोनों किनारे पर फ्लड प्लेन जोन के चिन्हीकरण हेतु नो–डेवलपमेन्ट जोन, रेगुलेटरी जोन पिलर्स निर्माण एवं लगाने के लिए कार्य की परियोजना**" दिनांक 09.11.2022, 10.11.2022, 11.11.2022 एवं 12.11.2022 को सम्पन्न मुख्य अभियन्ता समिति की बैठक में कमांक 211 पर प्रस्तुत की गई। मुख्य अभियन्ता समिति द्वारा विचारोपरान्त परियोजना को निरस्त कर दिया गया था।

मा0 एन0जी0टी0 के आदेशों के कम में हरिद्वार से उन्नाव तक फ्लड प्लेन जोन में डिमारकेशन के पिलर लगाये जा चुके है, जिसके कोर्डिनेट (Latitude/Longitude) C.W.C द्वारा उपलब्ध कराये गये थे गंगा नदी की सहायक नदी रामगंगा नदी में फ्लड प्लेन जोन डिमारकेशन की कार्यवाही की जा रही है जिसके कोर्डिनेट (Latitude/Longitude) प्राप्त करने हेतु अधिशासी अभियन्ता, जल विज्ञान खण्ड बहादराबाद, रूड़की को पत्र प्रेषित किया गया था जिसके कम में उनके द्वारा कार्य कराने में सहमति व्यक्त की गई है एवं उपरोक्त कार्य में आने वाले व्यय धनराशि रू0 372.33 लाख का प्रोफार्मा बिल प्रेषित किया गया है। धन की मांग निर्धारित प्रकिया के अन्तर्गत कर ली गई है एवं आवंटन प्रकियाधीन है साथ ही मा0 एन0जी0टी0 के आदेशों के अनुपालन में Flood Plane Zone Demarcate हेतु एक परियोजना "**रामगंगा नदी के दोनों किनारे पर फ्लड प्लेन जोन के चिन्हीकरण हेतु नो–डेवलपमेन्ट जोन, रेगुलेटरी जोन पिलर्स निर्माण एवं लगाने के लिए कार्य की परियोजना**" बना कर पुनः स्वीकृति हेतु प्रेषित कर दी गई है जिसकी स्वीकृति प्रकियाधीन है जिसमें कालागढ़ से कन्नौज तक नदी के दोनों ओर डिमारकेशन हेतु पिलर लगाये जाने प्रस्तावित है। परियोजना स्वीकृत/धनावंटन उपरान्त यथाशीघ्र डिमारकेशन हेतु पिलर लगाये जाने की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।

| | | |
|---|---|---|
| 28/06/23 | | 03/07/2023 |
| अधिशासी अभियन्ता | अधीक्षण अभियन्ता | मुख्य अभियन्ता (पूर्वी गंगा) |
| बाढ़ खण्ड मुरादाबाद | सिंचाई कार्य मण्डल, मुरादाबाद | सिंचाई विभाग, मुरादाबाद |

Scanned with OKEN Scanner